समावेशी शिक्षा : मुद्दे और चुनौतियाँ

अनुराधा नायडू

सार

समावेशी शिक्षा अपेक्षाकृत एक नई अवधारणा है, जिसने 'सभी के लिए शिक्षा अभियान' के बाद, 2000 में अन्तर-राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया। भारत में, 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा देश के सभी लोगों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने का प्रावधान है जिसमें विकलांग बच्चे भी शामिल हैं। दो प्रगतिशील विधायी पहलों के अधिनियमन के बाद (शिक्षा का अधिकार अधिनियम और विकलांगता अधिकार का अधिनियम) यह नज़र आता है कि अब नीति का नज़रिया कल्याण-आधारित दृष्टिकोण से बदलकर मानव अधिकारों पर ज़ोर देने वाला हो गया है। लेकिन विकलांगता अधिकार के कार्यकर्ता इस बात की ओर ध्यान दिलाते हैं कि नामांकन के बावजूद कक्षा में विकलांग बच्चे नज़र नहीं आते। इस लेख में प्रस्तुत तीन उदाहरणों के अध्ययन से पता चलता है कि हालाँकि विकलांगता को मानव विविधता के रूप में स्वीकारने वाले क़ानून मौजूद हैं, किन्तु फिर भी बच्चे एक विघटित प्रणाली का शिकार बन जाते हैं। गुणवत्तापूर्ण अधिगम प्राप्त करने के उद्देश्य के कुछ महत्त्वपूर्ण पहलू इस प्रकार हैं – अलग प्रकार का पाठ्यक्रम, शैक्षणिक नवाचार, परीक्षा सुधार और सबसे महत्त्वपूर्ण बात है शिक्षक की तैयारी। हमें जल्द-से-जल्द इस बात पर ध्यान देना है कि सभी हितधारकों जैसे शिक्षकों, विशेष शिक्षकों, प्रशासकों, विकलांगजनों और उनके परिवारों के बीच सहयोग और संवाद की संस्कृति विकसित हो ताकि सामाजिक अड़चनें दूर हों और सभी बच्चों के समावेशन के लिए समग्र स्कूल विकास दृष्टिकोण सक्षम हो सके।

> *"कृतज्ञता की भावना के साथ समाज को कुछ वापस देने का प्रयास करना मनुष्यों के जीने का उचित तरीक़ा है।"*
>
> *- जापानी बौद्ध दार्शनिक डाइसाकू इकेडा*

परिचय

भारतीय उपमहाद्वीप में समावेशी शिक्षा की अवधारणा अपेक्षाकृत एक नई अवधारणा है, जिसके साथ स्कूल में बच्चों के नामांकन की प्रक्रिया जूझ रही है। पिछले दशक में विकलांग बच्चों की शिक्षा से सम्बन्धित परिप्रेक्ष्य में बदलाव आया है जिसमें कल्याण की तुलना में मानवाधिकारों पर अधिक बल दिया गया है। भारत सरकार द्वारा विकलांग जनों के अधिकार [Rights of People with Disability (UNCRPD)] पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की पुष्टि के बाद यह परिवर्तन आया है। बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम (आरटीई अधिनियम), 2009 और विकलांगजनों के अधिकार का अधिनियम (आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम) 2016, दोनों में समावेशी शिक्षा का प्रावधान है। लेकिन बच्चों के स्कूल में बने रहने और स्कूल छोड़ने जैसे गम्भीर मुद्दों के चलते क्या यह प्रगतिशील दृष्टि स्कूलों में अच्छे कार्य निष्पादन का विकास करेगी?

स्कूल की कक्षाओं में मानव विविधता को प्रोत्साहित करने और उसका समर्थन करने से जीवन के मानववादी पहलुओं का निर्माण होता है, जो विविधताओं को स्वीकार करना सिखाते हैं। समकालीन सकारात्मक मनोविज्ञान के पितामह मार्टिन सेलिगमन कहते हैं,'सकारात्मक समावेशी स्कूली शिक्षा स्वतंत्रता, विश्वास और मानव विविधता के प्रति सम्मान के मूल्यों पर आधारित है।' 'इंडेक्स फॉर इनक्लूशन' के लेखक टोनी बूथ भी समावेशन के लोकतांत्रिक और सहभागितापूर्ण अभ्यासों में मूल्यों की भूमिका पर ज़ोर देते हैं जो शिक्षकों और शिक्षार्थियों को समान रूप से मान्यता देता है। क्या शिक्षक आज एक नई समावेशी स्कूल संस्कृति बनाने के लिए पाठ्यचर्या अनुकूलन, सहयोगिता के कौशल और सार्वभौमिक डिज़ाइन के बुनियादी अभ्यासों के लिए तैयार हैं?

1990 के दशक में वर्ल्ड एजुकेशन फोरम, डकार, 2000 के रन-अप के दौरान, मैंने एक विशेष शिक्षक के रूप में प्रशिक्षण लिया था। मैं समावेशी शिक्षा में वैश्विक रुचि का पता लगाने के लिए बहुत उत्साहित थी। तब इस बात को बढ़ावा मिल रहा था कि ग़रीबी, लिंग और सांस्कृतिक कारकों से हाशिए पर पड़े अन्य बच्चों के साथ-साथ विकलांग बच्चे भी मुख्यधारा के स्कूलों में पढ़ें। समावेशी शिक्षा के साथ पहली बार मेरा सामना समावेशन के लिए सूचकांक (इंडेक्स) की एक फील्ड परियोजना के माध्यम से हुआ जिसमें ये चार देश शामिल थे – भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ़्रीका और ब्रिटेन। तब से

समावेशी शिक्षा के बारे में मेरा विचार सूचकांक के दर्शन के साथ जुड़ गया है, जो इस प्रकार है – सभी विद्यार्थियों और कर्मचारियों का सम्मान होना चाहिए और स्कूल समुदायों में उनकी भागीदारी और सहयोग बढ़ाने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए। इसमें शिक्षक, विद्यार्थी और समुदाय के जुड़ने की बात है जो अवरोधों को कम करके अधिगम तक पहुँचने की प्रक्रिया को बढ़ाते हैं। समावेशी शिक्षा यानी समग्र स्कूल विकास।

समावेशी शिक्षा और क़ानून : तब और अब

'सभी के लिए शिक्षा' के लक्ष्यों में विकलांग बच्चों की शिक्षा को शामिल करने के बाद 2002 में भारतीय संविधान में 86वाँ संशोधन किया गया। संविधान के अनुच्छेद 21-ए में मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा की गारंटी दी गई है और यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य 6-14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, लेकिन 2009 में जाकर आरटीई अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया। और पहली बार इस अधिनियम ने मुख्यधारा की शैक्षिक प्रणाली में विकलांग बच्चों के समावेशन को अनिवार्य कर दिया।

उसी दशक में भारत सरकार ने यूएनसीआरपीडी,2007 को भी मंजूरी दे दी। इसके बाद विकलांगजनों (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) के अधिनियम (पीडब्ल्यूडी अधिनियम), 1995 की जगह आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 लागू हुआ।

इस लेख में हम इन वैधानिक प्रावधानों में समावेशी शिक्षा से सम्बन्धित अनुभागों की समीक्षा करेंगे और साथ ही अधिगम की गुणवत्ता के लिए प्रभावों पर चिन्तन भी करेंगे।

- आइए, सबसे पहले हम आरटीई अधिनियम को समावेशी शिक्षा, विकलांगता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच के नज़रिए से देखें।
- इसके बाद हम आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम को यूएनसीआरपीडी के साथ उसके तालमेल और विकलांगता की उन नई परिभाषाओं को देखेंगे जो परिवेशीय अड़चनों पर ध्यान देती हैं।
- अन्त में, हम अधिनियमों को एक साथ पढ़कर स्कूलों को समावेशी बनाने के लिए यूएनसीआरपीडी की सार्वभौमिक डिज़ाइन की अवधारणा पर विचार करेंगे।

आरटीई अधिनियम

'शिक्षा का अधिकार' का तात्पर्य है शिक्षा में विविधता। आरटीई अधिनियम इस आधार पर बनाया गया है कि सभी बच्चों को स्कूल में होना चाहिए। इस अधिनियम में 'शून्य अस्वीकृति नीति' द्वारा समर्थित स्कूल नामांकन के साथ समुचित शिक्षक प्रशिक्षण, अवरोध रहित बुनियादी ढाँचे और बेहतर शैक्षिक व पाठ्यचर्या अनुकूलन के माध्यम से स्कूल की गुणवत्ता में सुधार का प्रावधान भी है। अन्त में, आरटीई अधिनियम में यह भी कहा गया है कि राज्य को अनिवार्य रूप से स्कूल निकायों की निगरानी करनी होगी और अपने अभिशासन व स्कूल विकास योजनाओं में सुधार करना होगा।

चेन्नई में रहने वाली फ़ातिमा की कहानी उसकी माँ ने सुनाई। फ़ातिमा की माँ, जो दक्षिणी तमिलनाडु के एक तटीय शहर में रहने वाली एक गृहिणी हैं, आरटीई अधिनियम के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों का वर्णन करती हैं। 8 वर्षीया फ़ातिमा एक लम्बे इंतज़ार के बाद 'अच्छे' स्कूल में भर्ती होने की सम्भावना को लेकर बहुत उत्साहित थी। आरटीई लागू होने के बाद फ़ातिमा अपने पड़ोस में किसी भी स्कूल में भर्ती हो सकती थी। भर्ती होने के बाद उसे एक विशेष श्रेणी में रखा गया था जहाँ उसे तब तक रहना था जब तक कि वह अँग्रेज़ी और तमिल वर्णमाला में निपुणता नहीं प्राप्त कर लेती। जब फ़ातिमा 5 वर्ष की थी तब उसे मानसिक मन्दता का शिकार बताया गया था लेकिन यह निदान ग़लत था। जब वह बड़ी हो गई तो यह स्पष्ट हुआ कि उसे विकास समन्वय विकार की परेशानी थी जिसकी वजह से उसे लिखने में बड़ी मुश्किल पेश आती थी। उसकी सामान्य ज्ञान सम्बन्धी जानकारी बहुत बढ़िया थी लेकिन डिस्ग्रैफ़िया के कारण उसके लिए लिखना लगभग असम्भव था। उसे जिन बाधाओं का सामना करना पड़ा वे व्यवहारगत थीं और स्कूल के अधिकारियों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि बिना लिखे कोई बच्चा स्कूल की पढ़ाई कैसे कर पाएगा।

आरटीई के तहत, फ़ातिमा जैसे बच्चे को, जो 6 से 14 साल की उम्र के बीच में हैं, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पाने के लिए पड़ोस के स्कूल में भर्ती होने का अधिकार है। इस अधिनियम में 'बच्चे' की परिभाषा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बच्चों, सामाजिक, आर्थिक, लिंग और धार्मिक कारकों से दिक़्क़तों का सामना करने वाले बच्चों और विकलांग बच्चों को शामिल किया गया है। नए क़ानून के तहत फ़ातिमा को अपने घर से लगभग एक किलोमीटर की दूरी पर स्थित स्कूल में दाखिला दिया गया है।

आरटीई अधिनियम की एक अन्य सकारात्मक विशेषता यह है कि इसमें 'गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच' पर ज़ोर दिया गया है। यह बात फ़ोकस में एक बदलाव को दर्शाती है यानी अब फ़ोकस कल्याण आधारित दृष्टिकोण से अधिकार आधारित दृष्टिकोण पर रखा गया है। साथ ही इस बात को राज्य के लिए क़ानूनी दायित्व बना दिया गया है कि उन्हें सुनिश्चित करना

है कि बच्चा राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में पढ़ रहा है। अधिनियम के मार्गदर्शक सिद्धान्त भी सीखने की गुणवत्ता के प्रावधान के लिए नामांकन से परे जाते हैं।

- धारा 19 के तहत, बच्चे को एक ऐसे औपचारिक विद्यालय में साम्यतापूर्ण पूर्णकालिक शिक्षा पाने का अधिकार है जो आवश्यक मानदण्डों और मानकों को पूरा करता हो।
- आरटीई के मानदण्डों और मानकों में इस बात को अनिवार्य किया गया है कि कक्षा सामग्री, कक्षाओं और इमारतों तक बाधा मुक्त पहुँच प्रदान की जानी चाहिए।

'गुणवत्ता शिक्षा तक पहुँच' का अर्थ ऐसे वातावरणों का निर्माण करना है जो एक बच्चे को विकसित करने और पूर्ण क्षमता तक बढ़ने में सक्षम बनाएँ। फ़ातिमा को शुरुआत में ही पारम्परिक सामाजिक बाधाओं का सामना करना पड़ा था। इस पर काबू पाने के लिए शैक्षिक सुधार और प्रगतिशील नेतृत्व की आवश्यकता है जो सीखने और सभी की भागीदारी को प्रोत्साहित करे।

आरटीई और आगे की चुनौतियाँ

आरटीई अधिनियम की धारा 12 (1) (सी) के तहत, निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीट समाज के वंचित समूहों के बच्चों के लिए आरक्षित हैं। फ़ातिमा ने अपने पड़ोस के स्कूल में प्रवेश तो लिया लेकिन क्या वह विशेष श्रेणी से नियमित कक्षा तक प्रगति कर सकी? आरटीई अधिनियम की धारा 21 अनिवार्य स्कूल प्रबन्धन समिति (एसएमसी) को स्कूल विकास योजना बनाने की ज़िम्मेदारी देती है। यदि पाठ्यक्रम वास्तव में बाल केन्द्रित और बच्चों के अनुकूल है, जैसा कि अधिनियम का दावा है कि ऐसा होगा और यदि वातावरण भय, चिन्ता और अभिघात से मुक्त है, तो फ़ातिमा अपने साथियों के साथ सीख सकती है, भले ही वह लिखने में असमर्थ हो।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की वेबसाइट में प्राथमिक विद्यालयों के लिए 'सीखने के प्रतिफल' से सम्बन्धित दस्तावेज़ों, समावेशन पर सूचकांक के लिए एक गाइडबुक और आकलन में समायोजन और संशोधन के सुझावों के लिए लिंक दिए गए हैं। क्या इसका यह मतलब है कि शिक्षा की गुणवत्ता के मुद्दे पर जल्द ही विचार होगा? अधिनियम लागू होने के छह साल बाद आरटीई की उपलब्धियों पर, 2016 में केपीएमजी की एक मूल्यांकन रिपोर्ट आई जिसमें सीखने की गुणवत्ता सम्बन्धी बहस की चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया। केपीएमजी के शिक्षा क्षेत्र के प्रमुख बताते हैं कि सरकार ने अब तक सार्वभौमिक नामांकन और बुनियादी ढाँचे के विकास पर ध्यान केन्द्रित किया है, लेकिन अब ध्यान सीखने की गुणवत्ता पर होना चाहिए। असर, 2014 की रिपोर्ट के अनुसार, कक्षा 5 के 50 प्रतिशत विद्यार्थी और कक्षा 8 के 25 प्रतिशत विद्यार्थी कक्षा 2 की रीडर पढ़ने में असमर्थ हैं। गणितीय कौशल में सीखने के प्रतिफल के आँकड़े बताते हैं कि एक ऐसे शिक्षणशास्त्र और शिक्षक-विद्यार्थी अन्तःक्रिया की ज़रूरत है जो समझने और अनुप्रयोग के माध्यम से सीखने को प्रोत्साहित करते हों।

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016

पीडब्ल्यूडी अधिनियम के स्थान पर आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 को लाना विकलांगता अधिकार आन्दोलन के इतिहास में एक विशेष क्षण था। इसमें विकलांग कार्यकर्ताओं ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई क्योंकि हितधारकों ने सामाजिक परिवर्तन के सुगमीकरण में भाग लिया और दावा किया कि उनका आन्दोलन एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। यह तथ्य, कि नया क़ानून यूएनसीआरपीडी के अनुरूप है, अपने दार्शनिक आधार पर परिवर्तनशील है और सामाजिक कल्याण के स्थान पर मानव अधिकारों पर ध्यान केन्द्रित करता है। पीडब्ल्यूडी अधिनियम के विपरीत, आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम की प्रस्तावना 'विकलांग जनों के सशक्तिकरण के सिद्धान्त' बताती है। जो इस प्रकार हैं :

- अन्तर्निहित गरिमा के प्रति सम्मान
- मतभेद के प्रति सम्मान और मानव विविधता और मानवता के हिस्से के रूप में पीडब्ल्यूडी को स्वीकार करना
- पहुँच और समान अवसर, और
- विकलांगता-एक विकसित और गतिशील अवधारणा के रूप में (यह अवधारणा बच्चों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की धारणाओं पर आधारित है, जहाँ वयस्क, अपने अधिकारों का उपयोग करने की बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हैं।)

बुनियादी प्रावधान और क्रियान्वयन के उपाय

पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 1995 के विपरीत, आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2009 समावेशी शिक्षा का प्रावधान करता है, जिसे यह 'शिक्षा की एक ऐसी प्रणाली के रूप में परिभाषित करता है जिसमें विकलांग और अविकलांग विद्यार्थी साथ में पढ़ते-सीखते हैं। जिसमें शिक्षण-अधिगम की व्यवस्था को विभिन्न प्रकार के विकलांग विद्यार्थियों के सीखने की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उपयुक्त रूप से अनुकूलित किया जाता है।' यह बुनियादी आवश्यकताओं और क्रियान्वयन के तरीक़ों के बारे में भी विस्तार से बताता है।

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के कार्यक्षेत्र के तहत एक ऐसा प्रभावशाली विकास हुआ जो औपचारिक विद्यालयों के लिए

बहुत महत्त्वपूर्ण है। यह विकास है कि पीडब्ल्यूडी अधिनियम में मूल रूप से सात प्रकार की विकलांगता शामिल की गई थी पर आरपीडब्ल्यूडी में 21 विभिन्न प्रकार की विकलांगता शामिल की गई हैं। पहली बार स्वलीनता (ऑटिज़्म), विशिष्ट अधिगम अशक्तता और बोलने व भाषा की परेशानी वाले बच्चों को समावेशी शिक्षा के योग्य माना गया।

6 वर्षीय साजन को 3 साल की उम्र में एक व्यापक विकास सम्बन्धी विकार (सामाजिक, भाषा और संचार कौशल से जुड़ा एक विकार) से पीड़ित बताया गया था। साजन एक अनिच्छुक क़िस्म का शिक्षार्थी है जो हर दिन स्कूल में होने वाले बदलावों के साथ संघर्ष करता है। जब उसकी माँ ने उसके शिक्षक के साथ बातचीत की तो पता चला कि वह कक्षा में पाँच मिनट से अधिक समय तक बैठ नहीं पाता और सामाजिक दृष्टि से भी वह सबसे अलग-थलग रहता है, जिसकी वजह से वह डराने-धमकाने का शिकार हो जाता है। शिक्षक उसे रोज़ गृहकार्य देते हैं ताकि वह अपने लेखन और गणितीय कौशलों में सुधार कर सके और अपनी कक्षा की उपलब्धियों के मानकों को पूरा करने में सक्षम हो सके। इसके कारण घर पर भी उसका तनाव बढ़ा है। साजन को चित्र बनाना, बिल्डिंग ब्लॉक के साथ खेलना, इमारतों के सुन्दर डिज़ाइन बनाना, बच्चों की खेल-सीढ़ी पर चढ़ना और झूले पर झूलना पसन्द है। लेकिन अगर स्कूल के अधिकारियों ने सभी के लिए एक ही तरह के पाठ्यक्रम को सही मानकर उसी का पालन करना जारी रखा तो इस तरह के 'करके सीखने' के अवसर कम हो जाएँगे।

एक समावेशी शिक्षा परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो साजन और उसके जैसे दूसरे बच्चे कक्षा की विविधता में एक और आयाम जोड़ते हैं, जिसके लिए शिक्षक तैयार नहीं हैं। इस तरह की समस्याओं की शुरुआती पहचान स्कूल प्रणाली का एक मान्यता प्राप्त हिस्सा भी है, यह एक प्रगतिशील क़दम है क्योंकि बचपन की विकलांगता का शुरुआती सालों में पता नहीं चल पाता। साजन और उनके जैसे अन्य लोगों को प्रारम्भिक हस्तक्षेप और प्रोत्साहन से फ़ायदा होगा। अफ़सोस की बात है कि वे इन समस्याओं का सामना करने के कारण स्कूल छोड़ देते हैं। नए अधिनियम में परिचारकों, परिवहन, शारीरिक और संचार सम्बन्धी अड़चनों की बुनियादी आवश्यकताओं पर एक उचित समायोजन के रूप में ध्यान दिया जाएगा। अगर पाठ्यचर्या का अनुकूलन किया जाता तो साजन अपनी पसन्द की गतिविधियों का उपयोग करके अपने ध्यान देने की अवधि को बढ़ाना सीख सकता था, बाक़ी की कक्षा के समान सीखने के प्रतिफलों पर काम कर सकता था। उसे मदद के लिए एक शिक्षण सहायक के पर्यवेक्षण की आवश्यकता हो सकती है, जो दोस्त बनाने या समय पर किसी पहेली को पूरा करने में उसकी सहायता करे। इन सभी बातों को अब 'शैक्षिक संस्थानों के कर्तव्यों' और 'समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट उपायों' के हस्तक्षेप के रूप में अधिनियम में धारा 17 और 18 के तहत सूचीबद्ध किया गया है।

इन सबके साथ आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम विकलांगता की परिभाषा में 'बाधाओं या अड़चनों' की धारणा भी प्रस्तुत करता है। यूएनसीआरपीडी इस बात पर ज़ोर देता है कि विकलांगता की समस्या व्यक्ति में नहीं बल्कि उसके वातावरण द्वारा लगाई गई 'बाधाओं' में है। साजन के मामले में उससे यह अपेक्षा करना सही नहीं था कि वह लम्बे समय तक कक्षा में बैठे क्योंकि वह इसके लिए तन्त्रिका सम्बन्धी कारणों से या न्यूरोलॉजिकल रूप से तैयार नहीं है। उसके शिक्षक को चाहिए कि वह साजन से ऐसी गतिविधियाँ करवाएँ जिनमें खेल-खेल में सीखना सम्भव हो, जो कार्य दिए जाएँ उनकी अवधि कम हो और जब वह अपना काम कर ले तो उसकी भरपूर तारीफ़ की जाए। कक्षा में उसकी भागीदारी बढ़ाने के लिए शिक्षक को अभिवृत्ति और संचार सम्बन्धी ऐसे कारकों को दूर करना होगा जो बच्चे को दूसरों से अलग करते हैं, उनका बहिष्करण करते हैं और उनके स्थान पर ऐसे कारकों को बढ़ाना होगा जो आशा और आशापूर्ण नज़रिए को बढ़ाते हैं।

इसलिए प्रशासक और शिक्षक इस प्रकार की 'उचित व्यवस्था' के बारे में अर्थात अपनी समावेशी स्कूल विकास योजना में पाठ्यक्रम या स्कूल के वातावरण में समायोजन या संशोधन के बारे में बता सकते हैं। यह साजन जैसे बच्चों का समावेशन करने के लिए एक उदाहरण बनेगा। अधिनियम के ढाँचे के भीतर 'समावेशी स्कूल विकास के लिए उचित समायोजन' हेतु नीचे कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं :

- बहुत अधिक सहायता की आवश्यकताओं वाले बच्चे के लिए परिवहन और परिचर
- सुलभता के साथ उपयोग में लाए जा सकने वाली इमारतों, परिसरों, शौचालयों और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था
- अधिगम अशक्तता वाले बच्चों के लिए शैक्षणिक समर्थन
- अकादमिक और सामाजिक विकास को बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत समर्थन
- संशोधित पाठ्यपुस्तकें : उदाहरण के लिए, बरखा सीरीज़, एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित सप्लीमेन्टरी ग्रेडेड रीडर सीरीज़
- बोलने और संचार विकार वाले बच्चों के लिए वैकल्पिक और संवर्धी संचार प्रणाली
- परीक्षा प्रणाली में संशोधन : अतिरिक्त समय, कंप्यूटर का उपयोग, लिखने वाले की व्यवस्था

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम की सबसे प्रगतिशील विशेषता यूएनसीआरपीडी द्वारा प्रचारित 'यूनिवर्सल डिज़ाइन' की अवधारणा है। 'यूनिवर्सल डिज़ाइन' सभी लोगों द्वारा उपयोग करने योग्य उत्पादों और वातावरणों का डिज़ाइन है जिसका उपयोग एक बड़ी सीमा तक अनुकूलन या विशेष डिज़ाइन की आवश्यकता के बिना किया जा सकता है' (मेस, 1988)। स्कूलों में इसका उपयोग सीखने का लचीला वातावरण बनाने के लिए किया जा सकता है जिसमें विविध शिक्षा प्रोफ़ाइल और ज़रूरतों वाले सभी शिक्षार्थी शामिल हैं। यदि शिक्षण-अधिगम के एक जैसे तरीक़े साजन और कक्षा के अन्य सभी विद्यार्थियों को सुलभ हों तो साजन सीखने के आनन्ददायक माहौल में बड़ा हो सकता है। इसलिए प्रत्येक शिक्षक का यह दायित्व है कि वे अपनी कक्षा में विविधता की प्रकृति को समझें। शिक्षक का आत्म-चिन्तन कक्षा को प्रोत्साहित और विकासशील बनाने में बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

यूनिवर्सल डिज़ाइन कक्षा हस्तक्षेप के कुछ उदाहरण जो सभी शिक्षार्थियों को लाभ पहुँचा सकते हैं :

- पहुँच : रैंप, बैठने की व्यवस्था, परिवहन, इलेक्ट्रॉनिक किताबें
- भागीदारी : दृश्य कार्यक्रम, सचित्र शब्दावली, भागीदारों के साथ काम करना, परियोजना कार्य, कार्य अनुभव, आउटडोर खेल, दृश्य और प्रदर्शन कला
- अभिव्यक्ति के तरीक़े : लिखित, मौखिक प्रतिक्रियाएँ, कला, नाटक, मल्टीमीडिया प्रस्तुतिकरण

आरटीई अधिनियम और आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम एक साथ कैसे काम करते हैं?

यह अनुभाग दो अलग-अलग दृष्टिकोणों से आरटीई अधिनियम और आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के बीच के सम्बन्धों की जाँच करता है। पहला, विकलांगता अधिकार समर्थकों के व्यापक दृष्टिकोण के माध्यम से, जो सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों को प्रभावित करने वाले पुराने कल्याणकारी दृष्टिकोण के बारे में सोचते हैं। दूसरा, कणिका की केस स्टडी (आगे दी गई है) के माध्यम से, समावेशन के व्यावहारिक पहलुओं को सूचीबद्ध करते हुए।

विकलांग बच्चों की शिक्षा : कल्याण में ऐतिहासिक मोरचाबन्दी

2001 में भी जब सभी के लिए शिक्षा के मौलिक अधिकार की गारंटी के लिए संविधान में संशोधन किया गया था तब विकलांग बच्चों की शिक्षा को राज्य कल्याण के विषय के रूप में माना गया था। कल्याण में इस तरह की प्रणालीगत मोरचाबन्दी के परिणामस्वरूप सभी के लिए शिक्षा अभियान, एसएसए जैसे प्रमुख कार्यक्रम के भीतर भी पृथक सेवाओं का संरक्षण हुआ है। विकलांग अधिकार कार्यकर्ता चिन्तित हैं कि अत्यधिक सहायता की आवश्यकताओं वाले बच्चों को स्कूल में नामांकित तो किया जाता है, लेकिन अन्ततः वे एसएसए के तहत घर पर ही रखकर किए जाने वाले कार्यक्रमों में पहुँच जाते हैं। यह आरटीई अधिनियम की भावना के ख़िलाफ़ है।

बेंचमार्क अक्षमता और अत्यधिक सहायता की आवश्यकताओं वाले बच्चों (40 प्रतिशत विकलांगता के साथ) के लिए 'क्षमताओं का विकास' की अवधारणा के साथ भी यही होता है जिन्हें अपने दैनिक कार्य करने के लिए भी बहुत सहायता की आवश्यकता होती है। विकलांगता अधिकार कार्यकर्ता पूछते हैं कि क्या सामाजिक बाधाओं को नज़रअन्दाज़ किया जा रहा है। विकलांगता अधिकार कार्यकर्ता मीनाक्षी बालासुब्रह्मण्यम कहती हैं, 'लोगों की अशक्तता के बारे में हमारी अपनी जो समझ है, उसके आधार पर हम उन्हें एक विशेष स्तर पर रखते हैं। इससे व्यक्ति की क्षमताओं के विकास को सम्मान नहीं मिलेगा, क्योंकि हम उन कारकों पर ध्यान केन्द्रित नहीं करते हैं जो किसी दिए गए वातावरण में व्यक्ति के विकास को प्रतिबन्धित करते हैं।' मीनाक्षी बालासुब्रह्मण्यम, इक्वल्स : सेंटर फॉर प्रोमोशन ऑफ़ सोशल जस्टिस प्रोजेक्ट्स कोऑर्डिनेटर हैं।

विकलांग जनों को पेशेवर चिकित्सकों द्वारा जो प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं वे स्कूलों में प्रवेश के लिए अप्रासंगिक हैं : ज़ोर तो शैक्षिक आकलन पर होना चाहिए। विकलांगता संसाधन केन्द्र, विद्या सागर की उपनिदेशिका दीप्ति भाटिया के अनुसार, 'प्रवेश के समय बच्चे का आकलन इसलिए किया जाना चाहिए ताकि बच्चे के लिए सही वातावरण तैयार किया जा सके न कि इसलिए कि वातावरण के लिए बच्चे को तैयार किया जाए।' वे कहती हैं कि परीक्षा प्रणाली भी विकसित होनी चाहिए। आरटीई बाल केन्द्रित और गतिविधि-आधारित पाठ्यक्रम के आधार पर सीखने की गुणवत्ता का उल्लेख करता है, और आकलन की विधियों में भी बदलाव करना चाहिए।

समग्र स्कूल दृष्टिकोण

कणिका की कहानी यह बताती है कि अत्यधिक सहायता की आवश्यकता वाले बेंचमार्क विकलांग बच्चे के समावेशन में स्कूल की क्या भूमिका हो सकती है। कणिका का जन्म समय से पहले ही हो गया था और उसी समय से उसे सेरेब्रल पाल्सी से ग्रस्त बताया गया था। गहन शारीरिक और वाणी सम्बन्धी उपचार के बाद उसका विकास हुआ (दो साल की देरी के साथ)। 6 साल की उम्र में उसे उसके पड़ोस के स्कूल में कक्षा 1 में भर्ती कराया गया था; वह अब कक्षा 3 में है। इस स्कूल के प्रगतिशील इतिहास के कारण पाठ्यचर्या के समायोजन जैसे

शिक्षण सहायक, कम पाठ्यक्रम, लेखन के लिए अतिरिक्त समय आदि कक्षा की दिनचर्या का हिस्सा हैं। कणिका कला, नृत्य और नाटक जैसी गतिविधियों में अपने सभी सहपाठियों के साथ भाग लेती है और उसे स्कूल में एक सफल छात्रा के रूप में जाना जाता है।

कणिका जैसी अत्यधिक सहायता की आवश्यकता वाले अधिक विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए, स्कूलों को चाहिए कि वे विविधता का समर्थन करने वाली एक सहयोगी संस्कृति बनाएँ। समावेशी स्कूली शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ कुछ विचार दिए गए हैं :

- समावेशन के सूचकांक जैसे साधनों का उपयोग करके स्कूलों का आकलन करना
- विकलांगजनों के साथ बातचीत करने के लिए शिक्षकों, प्रशासनिक कर्मचारियों तथा स्कूल समुदाय के लिए अवसरों का निर्माण करना
- शिक्षकों, विशेष शिक्षकों और शिक्षण सहायकों के बीच सहयोग के लिए दिशानिर्देशों का निर्माण करना
- सहयोगपूर्ण टीमवर्क को बढ़ावा देने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करना
- सहायक प्रौद्योगिकी और संचार के लिए संसाधनों को आवंटित करना
- मुख्यधारा के स्कूलों की सहायता करने के लिए विकलांगता संसाधन केन्द्रों के साथ मिलकर कार्य करना
- स्कूल के वातावरण की अभिगम्यता का परीक्षण करना
- विभेदित शिक्षण, सहकारी अधिगम, पाठ्यचर्या समायोजन में सेवा-पूर्व और सेवाकालीन कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षकों को प्रशिक्षित करना
- समावेशी कक्षा में सह-शिक्षण को प्रोत्साहित करना
- शिक्षकों को शिक्षण की सर्वोतम प्रथाओं पर चर्चा करने के लिए नियमित रूप से मिलने के लिए प्रोत्साहित करना
- पाठ्यचर्या और आकलन की तकनीकों को अनुकूलित करना। इलेक्ट्रॉनिक पोर्टफ़ोलियो का प्रयोग करना
- विकलांगता वाले बच्चों के माता-पिता को शामिल करना

निष्कर्ष

सहयोग समावेशी शिक्षा की आधारशिला है। यह एक प्रक्रिया है और हस्तक्षेप की शृंखलाओं का अन्तिम उत्पाद नहीं है। स्कूल समुदाय के भीतर संवाद और आत्म-चिन्तन से क्रियान्वयन की प्रक्रिया के बारे में बेहतर समझ का विकास होगा। विकलांग बच्चों को स्कूल के साथ जुड़ने की उतनी ही ज़रूरत होती है जितनी और सभी बच्चों को। अभिवृत्तियों पर अपर्याप्त आत्म-चिन्तन और शिक्षकों (सामान्य और विशेषज्ञ), माता-पिता, बच्चों और प्रशासकों जैसे हितधारकों के बीच सहयोग करने के अपर्याप्त अवसरों के कारण अन्तर्विरोध पैदा होते हैं। सहभागितापूर्ण जुड़ाव के माध्यम से सम्मानित संवाद जो संवेदी कर्मियों को विकसित करने में मदद करे, विभेदित शिक्षण रणनीतियाँ, वैकल्पिक संचार के तरीक़े, माता-पिता और समुदाय की सक्रिय भागीदारी तथा समावेशी शिक्षा की प्रगति के लिए प्रतिबद्ध प्रशासन महत्त्वपूर्ण है।

References:

1 Booth, T and Ainscow, M. Index for Inclusion: Developing learning and partici-pation in schools (2002) http://www.eenet.org.uk/resources/docs/Index%20English.pdf

2 Curricular Adaptations for Children with Special Needs, Confluence, February 2016, Vol 18, Sarva Shiksha Abhiyan http://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/document-reports/Confluence.pdf

3 Duncan, R. Universal Design http://universaldesign.ie/What-is-Universal-Design/Conference-Proceedings/Universal-Design-for-the-21st-Century-Irish-International-Perspectives/

4 Gohain, Manash Pratim, 'NCERT Books to make classroom inclusive', The Times of India, April 22, 2017 https://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/ncert-books-to-make-classroom-inclusive/articleshow/58305822.cms

5 Ikeda, D. http://www.ikedaquotes.org

6 Including Children with Special Needs, Primary Stage, NCERT, 2014 http://www.ncert.nic.in/pdf_files/SpecialNeeds.pdf

7 Julka, A, Index for Developing Inclusive Schools, NCERT http://www.ncert.nic.in/departments/nie/degsn/pdf_files/INDEX%20FINAL%20FOR%20WEBSITE.pdf

8 KPMG, Assessing the Impact of the Right to Education Act, March 2016 https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2016/03/Assessing-the-impact-of-Right-to-Education-Act.pdf

9 Learning Indicators and Learning Outcomes at the Elementary Stage, NCERT 2014. http://www.dsek.nic.in/Misc/learningoutcome.pdf

10 Mohamed Imranullah S. 'Advantages and disadvantages of RTE Act', The Hindu, 21 May 2013 http://www.thehindu.com/news/cities/Madurai/advantages-and-disadvantages-of-rte-act/article4735501.ece

11 Naidu, A, Collaboration in the Era of Inclusion, Chapter on Reform, Inclusion and Teacher Education, Ed. Forlin C., Ming-Gon J.L., Routledge, 2008.

12 Naidu, A, 'Collaboration and Dialogue: The Essence of An Inclusive Practice', paper presented at the Conference on Inclusion in Education: The Implementa-tion of Article 24 of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, University of Hong Kong, 2009

13 Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 http://www.advocatekhoj.com/library/bareacts/rightofchildrentofree/index.php?Title=Right%20of%20Children%20to%20Free%20and%20Compulsory%20Education%20Act,%202009

14 Singhal, N, Education of children with disabilities in India and Pakistan: An analysis of developments since 2000 (2015) http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002324/232424e.pdf

15 Sharma, S, 'NCERT brings out learning indicators for classes 1 to VIII', The Indian Express, July 28, 2015 http://indianexpress.com/article/cities/delhi/ncert-brings-out-learning-indicators-for-classes-i-to-viii/

16 Snyder C.R., Lopez S.J., Pedrotti J.T. Positive Psychology, Second Edition, Sage Publications India Pvt Ltd, 2011.

17 The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, http://www.ncpedp.org/sites/all/themes/marinelli/documents/Rights%20of%20Persons%20with%20Disabilities%20(RPWD)%20Act%202016.pdf

18 The Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 http://thenationaltrust.gov.in/upload/uploadfiles/files/Persons%20with%20Disability%20Act%201995.pdf

---

अनुराधा नायडू ने हाल ही में हांगकांग में ग़ैर-चीनी भाषी आबादी की सेवा करने वाले हांगकांग सरकार के कार्यक्रम द्वारा समर्थित एक प्रारम्भिक शिक्षा केन्द्र के तत्वावधान में, 0-6 आयु वर्ग के विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों के साथ प्रारम्भिक हस्तक्षेपकर्ता के रूप में काम किया। उन्होंने 20 साल पहले विद्या सागर,चेन्नई में एक विशेष शिक्षक के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त किया था और वहाँ उनका परिचय अन्तःविषयक दृष्टिकोण से हुआ। इस पर चिन्तन करते हुए उनका कार्य और विकसित हुआ है। वे निरन्तर प्रयास करती हैं कि अपने विद्यार्थियों के लिए सीखने की एक मज़ेदार प्रक्रिया में उपचार, शिक्षा और वैकल्पिक संचार को एक साथ मिला सकें। उनसे *anuradha.naidu@gmail.com* पर सम्पर्क किया जा सकता है। **अनुवाद :** नलिनी रावल